

High Court Lucknow Bench, Lucknow

Dated : 30 / 09 / 2021

Auction Notice

Be it known to all that applications are invited from the aspirants/willing persons for auction of waste/weeded papers, lying in the covered space situated between Pillar no. 220 and Pillar no. 248 at the basement of main building of Allahabad High Court Lucknow.

Auction proceedings will be held on 23.10.2021 (Saturday) at 02:30 P.M. in the 'M' Block of Hon'ble High Court, Gomti Nagar, Lucknow. The terms & conditions for the said Auction are attached with the Application Form.

Date of Receiving and submission of duly filled Application Form	01.10.2021 to 22.10.2021 on any working day from 02:00 P.M. to 04:30 PM
Place to Receive and submit the Application Form	Prescribed counter situated in Pass Section (Near Gate No. 6) of Hon'ble High Court
Cost of Application Form	Rs.100/- (Cash)

The application forms along-with the terms & conditions of the Auction can be downloaded from the official website of Hon'ble Allahabad High Court i.e. "www.allahabadhighcourt.in". In that case, the applicants are compulsorily required to submit a demand draft of **Rs.100.00 (Application Form Fee)** in favour of "**The Senior Registrar, High Court, Lucknow**" at the time of submission of form.

The Senior Registrar has the right to change the date of Auction and decline any bid without assigning any reason.

**Sd/-
Senior Registrar**

उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित मुख्य भवन के बेसमेन्ट में पिलर संख्या 220 एवं 248 के मध्य स्थित घरे हुए स्थल में एकत्रित बेकार रद्दी, अनुपयोगी कागज तथा विनष्ट की गयी निर्णीत पत्रावलियां की नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

नीलामी की प्रक्रिया दिनांक 23.10.2021 (शनिवार) को दोपहर 2:30 बजे माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ 'एम' ब्लाक परिसर में आयोजित की जायेगी। नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं।

आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जमा करने की तिथि	01.10.2021 से 22.10.2021 तक किसी भी कार्य दिवस में दोपहर 2:00 बजे से सायं 4:30 बजे
आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा करने का स्थल	माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' (गेट नं. 6 के पास) में निर्धारित पटल
आवेदन पत्र का मूल्य	रुपये 100/- नकद

नीलामी की नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर भी उपलब्ध हैं तथा डाउन लोड भी की जा सकती है, किन्तु डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ 'वरिष्ठ निबन्धक, हाई कोर्ट, लखनऊ, के नाम रुपये 100.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

वरिष्ठ निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ को यह अधिकार होगा कि वह नीलामी की तिथि को परिवर्तित कर दे एवं किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें।

Sd/-
वरिष्ठ निबन्धक
उच्च न्यायालय, लखनऊ।

आवेदन पत्र

उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ
में बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज की
नीलामी के हेतु आवेदन पत्र

आवेदनकर्ता
का
स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

1. आवेदनकर्ता का नाम : _____
 2. पिता/पति का नाम : _____
 3. लिंग : _____
 4. उम्र : _____
 5. पता : _____

 6. मोबाइल नम्बर : _____
 7. राष्ट्रीयता : _____
 8. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से :
डाउन लोड किया गया है तो

डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले
बैंक का नाम : _____

डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम : _____

डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या : _____

डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि : _____
- मैंने बोली के सभी नियम व शर्तों को पढ़ लिया है तथा बोली के सभी नियम व शर्तें मुझे मंजूर हैं।

दिनांक :

संलग्नक :

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

- नोट:** (1) नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
(2) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 22.10.2021 तक है।

कार्यालय वरिष्ठ निबन्धक, उच्च न्यायालय, लखनऊ

नीलामी सूचना

विषय	:	बेकार / रद्दी व अनुपयोगी कागज की नीलामी हेतु
नीलामी की तिथि	:	23.10.2021 (शनिवार), समय : दोपहर 2:30 बजे।
स्थान	:	'एम' ब्लाक, माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ।

नीलामी की शर्तें

- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित मुख्य भवन के बेसमेन्ट में पिलर संख्या 220 एवं 248 के मध्य स्थित घिरे हुए स्थल में एकत्रित/एकत्रित होने वाले बेकार रद्दी, अनुपयोगी कागज तथा विनष्ट की जाने वाले निर्णीत पत्रावलियां नीलाम किया जाना है।
- बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु **अग्रिम राशि ₹0 10,000.00 (रुपये दस हजार)** नकद जमा करना होगा, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी तथा नीलामी में सफल व्यक्ति के मामले में अग्रिम राशि उसके द्वारा सिक्युरिटी डिपाजिट के रूप से जमा की जाने वाली राशि में समायोजित कर ली जायेगी।
- बेकार रद्दी, अनुपयोगी कागज तथा विनष्ट की गयी निर्णीत पत्रावलियों की बोली हेतु **न्यूनतम निर्धारित मूल्य ₹0 1200.00 (रुपये बारह सौ)** प्रति कुण्ठल हैं।
- जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे **सिक्युरिटी डिपाजिट** के रूप में **रुपये 50,000.00 (रुपये पचास हजार)** (अग्रिम जमा धनराशि सम्मिलित करते हुये) बोली की तिथि के 3 दिन के अन्दर जमा करना होगा। यह सिक्युरिटी डिपाजिट की धनराशि माननीय उच्च न्यायालय के पास काम पूरा होने तक जमा रहेगी तथा इस सिक्युरिटी डिपाजिट की धनराशि की वापिसी के सम्बन्ध में निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समस्त कार्य पूरा होने के उपरान्त ही लिया जायेगा।
- यदि अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा उपरोक्त सिक्युरिटी डिपाजिट की धनराशि 3 दिन के अन्दर जमा नहीं की जाती है, तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व जमा की गयी अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इस स्थिति में समिति को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली से दूसरे नम्बर की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित कार्य करने के लिये आमंत्रित कर लें तथा इस प्रकार आमंत्रित किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी बोली के अनुसार उपरोक्त शर्तों का पालन किया जायेगा।

6. नीलामी में सफल व्यक्ति, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य भवन के बेसमेन्ट में पिलर संख्या 220 एवं 248 के मध्य स्थित घिरे हुए स्थल पर रखे हुए बेकार रद्दी, अनुपयोगी कागज तथा विनष्ट की गयी निर्णीत पत्रावलियों को पहले स्वयं के व्यय पर स्वचालित पेपर कटिंग मशीन द्वारा काटेगा तथा उक्त कटे हुए कागज को माननीय उच्च न्यायालय परिसर से बाहर ले जाने की स्वयं व्यवस्था करेगा।
7. उपरोक्त कागज को काटने के लिये माननीय उच्च न्यायालय परिसर के अन्दर स्वचालित पेपर कटिंग मशीन की व्यवस्था बोली में सफल व्यक्ति द्वारा स्वयं की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय परिसर से उपरोक्त कागज को बाहर ले जाने का कार्य कोर्ट ऑफीसर (नजारत) की देख-रेख में किया जायेगा।
8. इस प्रकार कटे हुए बेकार रद्दी, अनुपयोगी कागज तथा विनष्ट की गयी निर्णीत पत्रावलियों की तौल नजारत अनुभाग द्वारा चिन्हित धर्मकांटे पर नजारत अनुभाग द्वारा नामित कर्मचारी की उपस्थिति में निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा :—
- (क) प्रत्येक उठान के समय सर्वप्रथम खाली वाहन को धर्मकांटे पर तौला जायेगा।
- (ख) उसके उपरान्त काटे गये कागज से भरे हुए वाहन का वजन धर्मकांटे पर किया जाएगा।
- (ग) तदुपरान्त वास्तविक वजन के सापेक्ष क्य मूल्य का भुगतान (बोली में निर्धारित मूल्य के अनुरूप) सफल बोलीदाता द्वारा कैश अनुभाग में करने के उपरान्त ही वह उक्त भरा हुआ वाहन धर्मकांटे से ले जाने का हकदार होगा।
9. नीलामी में सफल बोलीदाता के ठेका/कार्य की अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र की तिथि से एक वर्ष तक की होगी। चूंकि यह कार्य एक सतत प्रक्रिया है अतः सफल बोली दाता का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित स्थल पर रद्दी पेपर का ढेर एकत्रित न होने दें एवं निर्धारित मूल्य जमा करते हुए उसे निश्चित अवधि में न्यायालय परिसर से हटाते रहें।
10. कोई भी अपराधिक इतिहास/अपराधिक प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले सकता है।
11. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ अपने आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
12. नीलाम होने वाली बेकार रद्दी, अनुपयोगी कागज तथा विनष्ट की गयी निर्णीत पत्रावलियों को **दिनांक 22.10.2021** (मात्र 01 दिन) को गेट नम्बर 6 से नियमानुसार पास बनवाकर कोर्ट आफिसर (श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, मोबाइल नम्बर 8004996710) की अनुमति प्राप्त कर, उनके अथवा नजारत के किसी कर्मचारी के साथ, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य भवन के बेसमेन्ट में पिलर संख्या 220 एवं 248 के मध्य स्थित घिरे हुए स्थल पर दोपहर 02.00 बजे से 04.00 तक देखा जा सकता है तथा बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह स्वयं

उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त कागजों का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

13. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति आपस में बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की साठ—गाठ नहीं करेंगे। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा बोली के सम्बन्ध में आपस में किसी प्रकार की साठ—गाठ की गयी है तो नीलामी कमेटी को अधिकार होगा कि वह नीलामी प्रक्रिया को तुरन्त रोक दें।
14. नीलामी में सफल व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति तभी दी जायेगी जबकि उसने सिक्युरिटी डिपाजिट की धनराशि **₹0 50,000.00 (रुपये पचास हजार)** माननीय उच्च न्यायालय में नियत समय पर जमा कर दिया हो।
15. बोली में भाग लेने से पूर्व बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को यह लिखित में देना होगा कि बोली के सभी नियम व शर्तें उसे स्वीकार हैं।
16. बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली वाले दिन दोपहर 02:15 बजे तक उच्च न्यायालय के गेट नम्बर—6 पर तैनात सुरक्षा कर्मी को अपना पहचानपत्र दिखाकर दोपहर 02:30 बजे तक नीलामी कक्ष में प्रवेश करना होगा। दोपहर 02:30 बजे के उपरान्त नीलामी कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
17. बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज तथा विनष्ट की गयी निर्णीत पत्रावलियों को काटने व निस्तारित करने के लिये नियुक्त व्यक्तियों को निर्धारित गेट पास बनवाने के पश्चात् ही माननीय उच्च न्यायालय परिसर में आने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
18. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन होगी।
19. बोली में भाग लेने वाले समस्त इच्छुक व्यक्तियों को कोविड—19 महामारी के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में मास्क पहनकर एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने पर निर्धारित प्रवेश द्वार पर समुचित थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त नीलामी में प्रतिभाग करने की अनुमति होगी। प्रतिभागी अपने साथ में हैंड सैनिटाइजर लेकर अवश्यक आयेंगे।
20. सफल बोलीदाता का यह दायित्व होगा कि वह सम्पूर्ण कार्य अवधि के दौरान कोविड—19 प्रोटोकॉल तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्गत आवागमन के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों का सदैव पालन करेगा।

Sd/-
वरिष्ठ निबन्धक
उच्च न्यायालय, लखनऊ।